



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1383]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 15, 2017/वैशाख 25, 1939

No. 1383]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 15, 2017/VAISAKHA 25, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2017

का.आ. 1566(अ).—प्रारूप अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3230 (अ), तारीख 26 नवम्बर, 2015, को प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में किसी व्यक्ति और पणधारी से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, रोवा वन्यजीव अभयारण्य, 13 जुलाई, 1988 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना सं. एफ. 8 (67)/फार-डब्ल्यूएल/88/26,948/तारीख 13 जुलाई, 1988 के द्वारा घोषित किया गया और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 26-ए का खंड (ख) के अधीन वन विभाग, त्रिपुरा सरकार की अधिसूचना सं. एफ.8 (67)/फार-डब्ल्यूएल/2008/2,253/तारीख 7 मई, 2009 द्वारा 85.85 हेक्टेयर से मिलकर बने क्षेत्र को रोवा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है;

और, अभयारण्य की पुष्प विविधता फूलों की छत के टायरों में अद्वितीय और अच्छी तरह से वितरित की जाती है और जड़ी-बूटियों, झाड़ियों पर्वतारोही और पेड़ों की प्रजातियों की बड़ी किस्मों में पाया जाता है कि अभयारण्य में औषधीय मूल्य और उनकी प्रमुख प्रजातियां हैं, जो संघ में होने वाली होती हैं चैंपियन और सेठ वर्गीकरण के अनुसार नम पर्णपाती और अर्ध सदाबहार जंगल वाला अभयारण्य, अकौलरिआमालाकनसीज़ (अगार-वेर्नाकूलर), फिक्सस्पेकीइस (बॉट और अन्य वेर्नाकूलर), होलाररेहेन्नातिदसेंनटेरिका (कूरछा-वेर्नाकूलर), टमारिनदूसिनडिका (टेटूल—वेर्नाकूलर), टरमिनेलिअचेबुला

(हरिताकी-वेर्नाकूलर), *वितेक्पेनदुकूलरिस* (अवल-वेर्नाकूलर), *अलबिजिअपरोकेरा* (कराई-वेर्नाकूलर), *जेमिलिन्नारबोरेअ* (गामाइर-वेर्नाकूलर), *अरतोकरपूसचेपलास* (चेमल-वेर्नाकूलर), *डिपतेरोक्यूरपूसजनरबिनाटस* (गामाइर-वेर्नाकूलर), *सिनोमेटरापूलयन्द्र* (पिंग- वेर्नाकूलर), *बोमबाक्ससिइवा* (सिमूल-वेर्नाकूलर), *टरमिनालिअर्जुना* (अर्जुन-वेर्नाकूलर), *एगलेमारमेलोस* (बेल-वेर्नाकूलर), *सिसीगियमकुमिन्नी* (जेम-वेर्नाकूलर), जैसे एक संघ महत्वपूर्ण निवासी और प्रवासी पक्षी आबादी की एक विशाल विविधता का समर्थन है;

और, रोवा वन्यजीव अभयारण्य *बमबूसाबालकौआ* (बराक), *बमबूसाटूलडा*, *बमबूसावलगुरिस*, *बमबूसाकाचरेनसिस* (पाउरा), *बमबूसाकोमिल्लेइनसिस*, *मेलोकनाबाक्कफेरा* (मुलिल), *ड्रेडरूकालामूसलोनगिसपेथस*, जैसे बांस की विशिष्टताओं में प्रजातियों की विविधता में समृद्ध है;

और, अभयारण्य में भूमि के वनस्पतियों का विषम मिश्रण विभिन्न मोनोकोट्स और डिकट्स, जड़ी बूटी, झाड़ियों, पर्वतारोहियों, फर्न फैन सहयोगियों और भूमिगत बल्बों और रहींजोम के पुनर्जन्म के बीच 0.70 से 0.80 का घनत्व बदलता है और वन्यजीव अभयारण्य में निम्न अनुसूची-1 पशु जैसे तमाशा बंदर, तेंदुए बिल्ली, गंगा नरम कछुआ, पायथन, पहाड़ी मैना को देखा गया है;

और, नम भूमि लेसर व्हिस्लिंग टील जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख शीतकालीन पर्यावास है और 2006 की सर्दियों में पक्षी प्रजातियों के 100 झुंड तथा 2007 में 86 झुंड देखे गए जिनमें बाबेट (*कैपिटोनाइडेट*), बुलबुल (*पिकनोनोटाइडेट*), कोयल (*कुकुलिडी*), बांकर (*फालाकरोक्यूरसिडी*), डव तथा कबूतर (*कोलुमबाइडी*), ड्रोनोस (*डाइकूरिडी*), बत्तख (*अनाटाइडी*), पीलक (*ओरियोलाइडी*), उल्लू (*स्ट्राइत्रिडी*), पैराकीटस (*सिट्टासाइडी*), तीतर (*फासिआनिडी*), शकरखोर (*नेक्टारिनीडी*), कठफोड़वा (*पिसिडी*), बाया बया के पक्षी (*प्लोसिटी*), ट्री पाई (काँवाइडी) और मैना (*स्टूनाइडी*) शामिल हैं;

और, रोवा वन्यजीव अभयारण्य, के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की और उपधारा (1) और उपधारा (3) उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, त्रिपुरा राज्य में रोवा वन्यजीव अभयारण्य, की सीमा से 10 मीटर से 100 मीटर तक विस्तृत क्षेत्र को रोवा वन्यजीव अभयारण्य, पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--** (1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार रोवा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा 10 मीटर से 100 मीटर तक है और पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र 62.75 एकड़ है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के मानचित्र के साथ इसके अक्षांश और देशान्तर **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक और इसके अक्षांश और देशांतर **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है ।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्राम चमटीला, रोवा, डेवनेरा, दक्षिणी पदमाबिल (भाग) और रामनगर (भाग) ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि ;
- (iv) राजस्व;
- (v) नगर विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी और इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगा और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों को और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को सुनिश्चित करना और बढ़ावा देना भी है।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-अंतक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) भू-उपयोग – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा।:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के रूप में लागू होंगे, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित गृह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अधीन दिया गया है:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अधीन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

वनरोपण और प्राकृतिक वास पुनःवापसी क्रियाकलापों सहित और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदी/नाली की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना आंचलिक महायोजना में सम्मिलित होगी ।

(3) पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में जाना जायेगा।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्य जीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पूर्व परिनिश्चित और अभिहित क्षेत्रों में केवल पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, को महत्व देना होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए होटल/ रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों परंपरागत सुरक्षा योजना उनकी सुरक्षा और संरक्षा आदि की पहचान की जाएगी और योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों के अनुसार पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, 2000 अंतर्गत तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों राज्य सरकार द्वारा बताए गए मानकों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए सामान्य मानकों के उपबंधों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** -- ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357 (अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343/ (अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: - पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 340 (अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: - पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317 (अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई-अपशिष्ट:- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) यानीय परिवहन: - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) यानीय प्रदूषण:- लागू विधियों के अनुसार यानीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि हैं।

(16) औद्योगिक ईकाइयां: - (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद या प्रकाशन में, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: - पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(18) यदि यह आवश्यक समझा जाता है, तो इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अन्य और उपाय निर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन

(सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) और इससे किए गए संशोधनों सहित शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

| क्रम सं. | क्रियाकलाप | वर्णन |
|---------------------------------|---|--|
| क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप | | |
| (1) | वाणिज्यिक खनन । | (क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के कठोर अनुसरण का प्रचालन होगा । |
| (2) | जल, वायु, मृदा ध्वनि आदि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना । | कोई नई और पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति दी जाएगी। फरवरी, 2016 में पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में तब तक सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों के वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो। इसके अतिरिक्त गैर प्रदूषित कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा । |
| (3) | बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे । |
| (4) | किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे । |
| (5) | प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह का निस्सारण । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे । |
| (6) | ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य जलाए जाने की सुविधा की स्थापना। | पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान की कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचार/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत जलावतरण की सुविधा का अधिकतर प्रतिषिद्ध है। |
| (7) | फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना । | स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। |
| (8) | नई आरा मिलों की स्थापना। | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा । |
| (9) | ईट भट्टों की स्थापना करना। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे । |
| ख. विनियमित क्रियाकलाप | | |
| (10) | होटलों और रिसोर्टों का स्थापन । | पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर |

| | | |
|------|---|--|
| | | <p>के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे :</p> <p>परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरूप होगा ।</p> |
| (11) | संनिर्माण क्रियाकलाप । | <p>(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:</p> <p>परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी जैसे:-</p> <p>(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;</p> <p>(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;</p> <p>(iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण;</p> <p>(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में जिस सहायक हो ग्रह वास; और</p> <p>(v) इस अधिसूचना में संवर्धित क्रियाकलापों की सूची :</p> <p>परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे ।</p> <p>(ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।</p> |
| (12) | प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग । | <p>पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर -प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किए जाएंगे।</p> |
| (13) | वृक्षों की कटाई । | <p>(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंहीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी ।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।</p> |
| (14) | वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों एन टी एफ टी का संग्रहण । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| (15) | विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाएगा। |
| (16) | नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे। | लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे। |
| (17) | विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें | लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन |

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| | सुदृढ करना। | और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे। |
| (18) | पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| (19) | पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| (20) | रात्रि में यानिक यातायात का संचलन। | लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे। |
| (21) | स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन। | स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| (22) | प्राकृतिक जल निकायों सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण। | उपचारित/ बहिर्वाह के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा। अन्यथा लागू विधियों के अधीन उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा। |
| (23) | सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| (24) | खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग। | विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी। |
| (25) | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| (26) | विदेशी प्रजातियों को लाना। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| (27) | पारिस्थितिक-पर्यटन। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| (28) | पोलिथीन बैगों का उपयोग। | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति है। हालांकि, विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर, यह लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| (29) | वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| ग. संवर्धित क्रियाकलाप | | |
| (30) | वर्षा जल संचयन। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| (31) | जैविक खेती। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| (32) | सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| (33) | कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर, आदि भी हैं। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| (34) | नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग। | सक्रिय रूप से बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। |
| (35) | कृषि वानिकी। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| (36) | पारिस्थितिक-अनुकूल परिवहन का उपयोग। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| (37) | कौशल विकास। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |

| | | |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| (38) | निम्नीकृत भूमि/ वन/ आवास की बहाली । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| (39) | पर्यावरणीय जागरूकता । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार द्वारा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी निगरानी के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए एक निगरानी समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:--

- (क) वन्य संरक्षक/उपवन्य संरक्षक/उद्यान और अभयारण्य, त्रिपुरा सरकार - अध्यक्ष;
- (ख) क्षेत्र का ज्येष्ठ योजनाकार - सदस्य;
- (ग) त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि -सदस्य;
- (घ) पर्यावरण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य;
- (ङ) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में त्रिपुरा सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ - सदस्य;
- (च) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य - सदस्य;
- (छ) प्रभागीय वन अधिकारी (संरक्षित क्षेत्र) - सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश - निबंधन

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध वन/पार्क और अभयारण्य का संरक्षण, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 19) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य जीव वार्डन **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/35/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

रोवा वन्यजीव अभयारण्य, त्रिपुरा की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा और चौहद्दी

उत्तरी सीमा:

रोवा वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिक जोन के उत्तरी भाग में दसेरकोटि से पदमाबिल रोड शामिल है, जहां प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर रखा गया है। प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा रोवा मौजा, पनीसागर उप-मंडल के अंतर्गत उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में दसेरकोटि पदमाबिल रोड के समान्तर है।

दक्षिणी सीमा:

रोवा वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिक जोन की दक्षिणी सीमा में एनएच-44 से निकलकर दक्षिण पदमाबिल तक जाने वाली ईट वाली सड़क शामिल है जो उस ईट वाली सड़क की सीमा से मिलती है जहां प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 20 मीटर रखा गया है इसके साथ मौजा पनीसागर सिविल उप-मंडल के अंतर्गत दक्षिण पदामाबिल है।

पश्चिमी सीमा:


रोवा वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिक जोन की पश्चिमी सीमा में पनीसागर सिविल उप-मंडल के अंतर्गत रोवा मौजा और रामनगर शामिल हैं जहां प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा को बसावट के कारण अभयारण्य की सीमा से 10 मीटर रखा गया है। पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का दक्षिण-पश्चिम भाग एनच 44 आरओडब्ल्यू से प्रारम्भ होता है।

पूर्वी सीमा:

दक्षिणी पूर्वी सीमा दक्षिण पदमाबिल-44 ईट वाली सड़क से प्रारम्भ होती है जो एनएच-44 से सीधे तौर पर मिलती है जहां प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 20 मीटर रखा गया है

उपाबंध-II

रोवा वन्यजीव अभयारण्य, त्रिपुरा की सीमा के अधिकतम विस्तार के अक्षांश और देशांतर पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध III

रोवा वन्यजीव अभयारण्य, त्रिपुरा के पारिस्थितिक संवेदी जोन की बाहरी चौहद्दी के मुख्य बिन्दुओं को दर्शाने के लिए भू-मण्डलीय स्थित प्रणाली के निर्देशांक

| रोवा वन्यजीव अभयारण्य की उत्तर दिशा में ऑफसेट में '100' मीटर | | | |
|--|---------------|----------------|--|
| क्र.सं. | अक्षांश | देशांतर | अभ्युक्ति |
| 1 | 24°17' 56.89" | 92° 9' 41.23" | रोवा वन्यजीव अभयारण्य की उत्तर दिशा में ऑफ सेट '100' मीटर रोवा मौजा की सीमा से मिलता है। प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा को यहां 20 मीटर रखा गया है। यह क्षेत्र पनी सागर उपक्षेत्राधिकारी में आता मंडल के है |
| 2 | 24°17' 55.40" | 92° 9' 45.43" | |
| 3 | 24°17' 47.57" | 92° 9' 52.52" | |
| 4 | 24°17' 49.59" | 92° 9' 53.49" | |
| 5 | 24°17' 50.21" | 92° 9' 56.14" | |
| 6 | 24°17' 49.50" | 92° 10' 00.17" | |
| 7 | 24°17' 45.44" | 92° 10' 00.32" | |
| 8 | 24°17' 44.83" | 92° 10' 06.86" | |
| 9 | 24°17' 43.71" | 92° 10' 13.10" | |
| 10 | 24°17' 45.08" | 92° 10' 13.99" | |
| 11 | 24°17' 42.88" | 92° 10' 20.07" | |
| 12 | 24°17' 36.56" | 92° 10' 20.56" | |
| 13 | 24°17' 38.14" | 92° 10' 26.65" | |
| 14 | 24°17' 37.02" | 92° 10' 28.56" | |
| रोवा वन्यजीव अभयारण्य की पूर्वी दिशा में ऑफसेट में '20' मीटर | | | |
| क्र.सं. | अक्षांश | देशांतर | अभ्युक्ति |
| 1 | 24°17' 36.95" | 92° 10' 29.54" | रोवा वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी दिशा में ऑफ सेट '20' मीटर ब्लैक टोप रोड़ की सीमा से मिलता है। प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा को यहां 20 मीटर रखा गया है। |
| 2 | 24°17' 36.05" | 92° 10' 31.54" | |
| 3 | 24°17' 33.56" | 92° 10' 32.42" | |

| | | | |
|---|---------------|----------------|--|
| 4 | 24°17' 29.04" | 92° 10' 32.44" | |
| 5 | 24°17' 36.95" | 92° 10' 29.54" | |
| 6 | 24°17' 36.95" | 92° 10' 29.54" | |
| 7 | 24°17' 22.30" | 92° 10' 30.34" | |
| 8 | 24°17' 22.36" | 92° 10' 26.24" | |

रोवा वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिम दिशा में ऑफसेट में '10' मीटर

| क्र.सं. | अक्षांश | देशांतर | अभ्युक्ति |
|---------|---------------|---------------|--|
| 1. | 24°17' 30.31" | 92° 9' 31.95" | रोवा वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिमी दिशा में ऑफ सेट '10' मीटर एनएच-44 की सीमा से मिलता है। पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा को यहां एनएच-44 आरओडब्ल्यू की सीमा से 10 मीटर रखा गया है। |
| 2. | 24°17' 30.27" | 92° 9' 41.94" | |
| 3. | 24°17' 35.07" | 92° 9' 41.56" | |
| 4. | 24°17' 41.71" | 92° 9' 41.10" | |
| 5. | 24°17' 48.44" | 92° 9' 40.57" | |
| 6. | 24°17' 57.10" | 92° 9' 39.98" | |

रोवा वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिम दिशा में ऑफसेट में '20' मीटर

| क्र.सं. | अक्षांश | देशांतर | अभ्युक्ति |
|---------|---------------|----------------|---|
| 1. | 24°17' 25.90" | 92° 10' 31.78" | रोवा वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी दिशा में ऑफ सेट '20' मीटर एनएच-44 से जुड़ी ईट की सड़क की सीमा से मिलता है। प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा को यहां रोवा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 20 मीटर रखा गया है। प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन मौजा रोवा मौजा है। |
| 2. | 24°17' 24.18" | 92° 10' 19.31" | |
| 3. | 24°17' 22.39" | 92° 10' 18.66" | |
| 4. | 24°17' 22.70" | 92° 10' 21.98" | |
| 5. | 24°17' 14.70" | 92° 10' 23.68" | |
| 6. | 24°17' 17.25" | 92° 10' 13.69" | |
| 7. | 24°17' 18.66" | 92° 10' 09.97" | |
| 8. | 24°17' 19.03" | 92° 10' 04.51" | |
| 9. | 24°17' 20.44" | 92° 10' 01.77" | |

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 10. | 24°17' 22.15" | 92° 10' 00.03" |
| 11. | 24°17' 24.72" | 92° 9' 53.77" |
| 12. | 24°17' 25.29" | 92° 9' 50.47" |
| 13. | 24°17' 18.01" | 92° 9' 49.75" |
| 14. | 24°17' 20.19" | 92° 9' 42.65" |
| 15. | 24°17' 20.67" | 92° 9' 41.41" |
| 16. | 24°17' 19.69" | 92° 9' 39.43" |
| 17. | 24°17' 21.16" | 92° 9' 37.34" |
| 18. | 24°17' 23.11" | 92° 9' 37.33" |
| 19. | 24°17' 24.66" | 92° 9' 40.19" |
| 20. | 24°17' 27.25" | 92° 9' 41.89" |
| 21. | 24°17' 29.33" | 92° 9' 32.91" |
| 22. | 24°17' 29.87" | 92° 9' 32.01" |
| 23. | 24°17' 28.52" | 92° 9' 36.66" |

*पाद टिप्पणी: कृपया मानचित्र देखें

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक् अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi 8th May, 2017

S.O. 1566(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3230, dated the 26th November, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, no objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

Whereas, the Rowa Wildlife Sanctuary in the State of Tripura was declared on the 13th July, 1988 vide Notification No.F.8 (67)/For-WL/88/26,948/dated the 13th July, 1988 under sub-section (1) of section 18 of the Wildlife Protection Act, 1972 (53 of 1972) comprising an area of 85.85 hectare was notified as the Rowa Wildlife Sanctuary under clause (b) of section 26-A of the Wildlife Protection Act, 1972 vide Notification No.F.8 (67)/For-WL-2008/2,253/dated the 7th May, 2009 of the Forest Department, Government of Tripura;

And whereas, the floral diversity of the sanctuary is unique and well distributed in the tires of floral canopies and the large varieties of the herbs, shrubs climber and tree species found the sanctuary have medicinal value and themajor tree species, occurring in association, found in the sanctuary comprising of Moist Deciduous and Semi Evergreen forest as per Champion and Seth classification are, *Aquariumalacancies* (Agar-vernacular), *Ficusspecies* (Bot and other vernacular), *Holarrhenaantidysenterica* (Kurcha-vernacular), *Tamarindusindica* (Tetul-vernacular), *Termineliachebula* (Haritaki-vernacular), *Vitexpenduncularis* (Awal-vernacular), *Albizziaprocera* (Karai-vernacular), *Gmelinaarborea* (Gamair-vernacular), *ArtocarpusChaplasa* (Chamal-vernacular), *Dipterocurpusturbinatus* (Gamair-vernacular), *Cynometrapolyndra* (Ping-vernacular), *Bombaxceiba* (Simul-vernacular), *Terminaliaarjuna* (Arjun-vernacular), *Aeglemarmelos* (Belvernacular), *Sysygiumcumini* (Jam-vernacular) such an association is critical for supporting a large variety of resident and migratory bird population;

And whereas, the Rowa Wildlife Sanctuary is rich in species diversity in bamboo speices like *Bambusabalcooa* (Barak), *Bambusatulda*, *Bambusavulguris*, *Bambusacacharensis* (Powra), *Bambusacomillensis*, *Melocanabaccifera* (Mulil) *Dendrocalamuslongispatus*etc.are well distributed over the entire area;

And whereas, the heterogeneous mixture of ground flora is in agglomeration of various monocots and dicots, herbs shrubs, climbers, lichens, fens fern allies and regeneration of underground bulbs and rhizomes andthe canopy density varies between 0.70 to 0.80 in the sanctuary and the lowing Schedule- I Animals have been sighted in the Wildlife Sanctuary are, Spectacle monkey, Leopard cat, Ganges soft shelled turtle, Python, Hill Myna;

And whereas, Besides the wet land is a major wintering habitat for migratory birds like lesser whistling teals and a flock of 100 number in 2006 winter and 86 in 2007 winter of the species was spotted comprising of birds like barbets (Capitonidae), Bulbul (Pycnonotidae), Cuckoos (Cuculidae), Darters (Phalacrocuracidae), Doves and pigeon (Columbidae), Drongos (Dicuridae), Ducks (Anatidae), Orioles (Oriolidae), Owls (Strigidae) Parakeets (Psittacidae), Partridges (Phasianidae), Sunbirds (Nectariniidae), Woodpeckers (Picidae), Weaver birds of bayas (Plocitae), Tree pies (Corvidae) and Maynas (Sturnidae);

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph one of this notification around the protected area of the Rowa Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 10 to 100 meters from the boundary of the Rowa Wildlife Sanctuary in the State of Tripura as the Rowa Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.**—(1)The extent of the Eco-sensitive Zone is varies from 10 metres to100 metres from the boundary of the Rowa Wildlife Sanctuary and the area of the Eco- sensitive Zone is 62.75 acres.
- (2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I.**
- (3) The map of the Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes is appended as **Annexure II.**
- (4) The coordinates of the Eco-sensitive Zone with its latitudes and longitudes is appended as **Annexure III.**

(5) The villages falling within Eco-sensitive Zone are, Chamtilla, Rowa, Deocnera, South Padmabill (Part), and Ramnagar (Part).

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—

1. The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

2. The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

3. The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

- (i) Environment;
- (ii) Forest and Wildlife;
- (iii) Agriculture;
- (iv) Revenue;
- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal;
- (x) Panchayati Raj;
- (xi) Public Works Department.

4. The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

5. The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

6. The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

7. The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

8. The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

9. The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

1. **Landuse.—**(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant state laws and other rules and regulations of Central/State

Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant state laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.—The catchment areas of all natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) Tourism/Eco-tourism.—(a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority with emphasis on eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel/resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.—All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.—Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.—Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.**—Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**—Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) **Solid wastes.**—Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016;

the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.**—Bio medical waste management shall be as under:-

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management.**—The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340 (E), dated the 18th March, 2016.

(12) **Construction and Demolition Waste Management.**—The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317 (E), dated the 29th March, 2016.

(13) **E-waste.**—The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) **Vehicular traffic.**—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular Pollution.**—Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.**—(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes.**—The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.—

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

| Sl. No. | Activity | Description |
|---------------------------------|--|---|
| A. Prohibited Activities | | |
| 1. | Commercial Mining. | (a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P. (C) No.202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P. (C) No.435 of 2012. |
| 2. | Setting up of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.). | No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted. |
| 3. | Establishment of major hydroelectric project. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 4. | Use or production or processing of any hazardous substances. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 5. | Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 6. | Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste. | No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste is permitted within Eco-sensitive Zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is Prohibited. |
| 7. | Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs. |
| 8. | Setting of new saw mills. | No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone. |
| 9. | Setting up of brick kilns. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| B. Regulated Activities | | |
| 10. | Commercial establishment of hotels and resorts. | No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable. |
| 11. | Construction activities. | (a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:-</p> <p>(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;</p> <p>(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;</p> <p>(iii) small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by the Central Pollution Control Board of February 2016;</p> <p>(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and</p> <p>(v) promoted activities listed in this Notification:</p> <p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p> |
| 12. | Small scale non polluting industries. | Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority. |
| 13. | Felling of Trees. | <p>(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p> |
| 14. | Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP). | Regulated under applicable laws. |
| 15. | Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures. | Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted. |
| 16. | Infrastructure including civic amenities. | Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines. |
| 17. | Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads. | Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines. |
| 18. | Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc. | Regulated under applicable law. |
| 19. | Protection of Hill Slopes and river banks. | Regulated under applicable laws. |
| 20. | Movement of vehicular traffic at night. | Regulated for commercial purpose under applicable laws. |
| 21. | Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries. | Permitted under applicable laws for use of locals. |
| 22. | Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area. | The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated |

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| | | waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws. |
| 23. | Commercial extraction of surface and ground water. | Regulated under applicable law. |
| 24. | Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage. | Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority. |
| 25. | Solid Waste Management. | Regulated under applicable laws. |
| 26. | Introduction of Exotic species. | Regulated under applicable laws. |
| 27. | Eco-tourism. | Regulated under applicable laws. |
| 28. | Use of polythene bags. | Use of polythene bags are permitted within the Eco-sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws. |
| 29. | Commercial Sign boards and hoardings. | Regulated under applicable laws. |
| C. Promoted Activities | | |
| 30. | Rain water harvesting. | Shall be actively promoted. |
| 31. | Organic farming. | Shall be actively promoted. |
| 32. | Adoption of green technology for all activities. | Shall be actively promoted. |
| 33. | Cottage industries including village artisans, etc. | Shall be actively promoted. |
| 34. | Use of renewable energy and fuels. | Bio gas, solar light etc. to be actively promoted. |
| 35. | Agro-Forestry. | Shall be actively promoted. |
| 36. | Use of eco-friendly transport. | Shall be actively promoted. |
| 37. | Skill Development. | Shall be actively promoted. |
| 38. | Restoration of Degraded Land/Forests/Habitat. | Shall be actively promoted. |
| 39. | Environmental Awareness. | Shall be actively promoted. |

5. Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.—(1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, the following namely:-

- (a) The Conservator of Forests/Deputy Conservator of Forests/Park and Sanctuary, Government of Tripura—Chairman;
- (b) Senior Town Planner of the area - Member;
- (c) A representative of Tripura State Pollution Control Board-Member;
- (d) A representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Tripura for a term of three year – Member;
- (e) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Tripura for three years - Member;
- (f) Member, State Biodiversity Board-Member; and
- (g) Divisional Forest Officer (Protected Area) - Member Secretary.

6. Terms of Reference.-

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in

the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

- (3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
 - (4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Conservator of Forests/Park and Sanctuary shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State per proforma appended at **Annexure IV**.
 - (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/35/2015-ESZ/RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure I

Limits and boundaries of the proposed Eco-sensitive Zone of Rowa Wildlife Sanctuary, Tripura.

Northern (N) boundary:

Northern side of the proposed Eco-sensitive Zone of Rowa Wildlife Sanctuary consists of Daserkoti to Padmabil Road where proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept as 100 meter from the boundary of the sanctuary. The proposed Eco-sensitive Zone boundary is running parallel to Daserkoti - Padmabil Road from North West to North East side. Under RowaMauja, Panisagar Civil Sub-Division.

Southern (S) boundary:

Southern boundary of proposed Eco-sensitive Zone of Rowa Wildlife Sanctuary consists the Brick road Originate from NH-44 to DakshinPadmabil bordering with that bick road. Where the proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept as 20 meter from the boundary of the sanctuary. Adjoining Mouja is DakshinPadmabil under Panisagar Civil Sub-Division.

Western (W) boundary:


Western boundary of the proposed Eco-sensitive Zone of Rowa Wildlife Sanctuary consist of RowaMauja and Ramnagar under Panisagar Civil Sub-Division where the proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept as 10 meter from the boundary of the sanctuary due to habitation. South Western sides Eco-sensitive Zone boundary originates with NH-44 RoW.

Eastern (E) boundary:

South Eastern boundary starts from DakshinPadmabil – NH-44 Brick road which is directly connecting with NH-44. Where the proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept as 20 meter from the boundary of the sanctuary.

Annexure II

Map of the Eco-sensitive Zone boundary of Rowa Wildlife Sanctuary, Tripura together with its latitudes and longitude of extremes and extent.



Annexure III

The Global Positioning System coordinates showing prominent points of the outer boundary of the Eco-sensitive Zone of Rowa Wildlife Sanctuary, Tripura

| Offset '100' meter at North side of Rowa Wildlife Sanctuary | | | |
|--|-----------------|------------------|--|
| <i>Sl. No.</i> | <i>Latitude</i> | <i>Longitude</i> | <i>Remarks</i> |
| 1 | 24017' 56.89" | 920 9' 41.23" | Offset '100' meter at North side of Rowa Wildlife Sanctuary is bordering with RowaMauja. The proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept here as 20 meter. This area falls within the jurisdiction of PaniSagar Sub-Division. |
| 2 | 24017' 55.40" | 920 9' 45.43" | |
| 3 | 24017' 47.57" | 920 9' 52.52" | |
| 4 | 24017' 49.59" | 920 9' 53.49" | |
| 5 | 24017' 50.21" | 920 9' 56.14" | |
| 6 | 24017' 49.50" | 920 10' 00.17" | |
| 7 | 24017' 45.44" | 920 10' 00.32" | |
| 8 | 24017' 44.83" | 920 10' 06.86" | |
| 9 | 24017' 43.71" | 920 10' 13.10" | |
| 10 | 24017' 45.08" | 920 10' 13.99" | |
| 11 | 24017' 42.88" | 920 10' 20.07" | |
| 12 | 24017' 36.56" | 920 10' 20.56" | |
| 13 | 24017' 38.14" | 920 10' 26.65" | |
| 14 | 24017' 37.02" | 920 10' 28.56" | |
| Offset '20' meter at East side of Rowa Wildlife Sanctuary | | | |
| <i>Sl. No.</i> | <i>Latitude</i> | <i>Longitude</i> | <i>Remarks</i> |
| 1 | 24017' 36.95" | 920 10' 29.54" | Offset '20' meter at South East side of Rowa Wildlife Sanctuary is bordering with Black top road The proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept here as 20 meter. |
| 2 | 24017' 36.05" | 920 10' 31.54" | |
| 3 | 24017' 33.56" | 920 10' 32.42" | |
| 4 | 24017' 29.04" | 920 10' 32.44" | |
| 5 | 24017' 36.95" | 920 10' 29.54" | |
| 6 | 24017' 36.95" | 920 10' 29.54" | |
| 7 | 24017' 22.30" | 920 10' 30.34" | |
| 8 | 24017' 22.36" | 920 10' 26.24" | |

| Offset '10' meter at West side of Rowa Wildlife Sanctuary | | | |
|---|-----------------|------------------|--|
| <i>Sl. No.</i> | <i>Latitude</i> | <i>Longitude</i> | <i>Remarks</i> |
| 1. | 24017' 30.31" | 920 9' 31.95" | Offset '10' meter at West side of Rowa Wildlife Sanctuary is start point is bordering with NH-44. The Eco-sensitive Zone boundary is kept here as 10 meter from the boundary of NH-44 ROW. |
| 2. | 24017' 30.27" | 920 9' 41.94" | |
| 3. | 24017' 35.07" | 920 9' 41.56" | |
| 4. | 24017' 41.71" | 920 9' 41.10" | |
| 5. | 24017' 48.44" | 920 9' 40.57" | |
| 6. | 24017' 57.10" | 920 9' 39.98" | |
| Offset '20' meter at South side of Rowa Wildlife Sanctuary | | | |
| <i>Sl. No.</i> | <i>Latitude</i> | <i>Longitude</i> | <i>Remarks</i> |
| 1. | 24017' 25.90" | 920 10' 31.78" | Offset '20' meter at South side of Rowa Wildlife Sanctuary is bordering with Brick road connected with NH-44. The proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept here as 20 meter from the boundary of Rowa Wild Life Sanctuary Boundary. The Mouja falling in the proposed Eco-sensitive Zone is Rowa Muja. |
| 2. | 24017' 24.18" | 920 10' 19.31" | |
| 3. | 24017' 22.39" | 920 10' 18.66" | |
| 4. | 24017' 22.70" | 920 10' 21.98" | |
| 5. | 24017' 14.70" | 920 10' 23.68" | |
| 6. | 24017' 17.25" | 920 10' 13.69" | |
| 7. | 24017' 18.66" | 920 10' 09.97" | |
| 8. | 24017' 19.03" | 920 10' 04.51" | |
| 9. | 24017' 20.44" | 920 10' 01.77" | |
| 10. | 24017' 22.15" | 920 10' 00.03" | |
| 11. | 24017' 24.72" | 920 9' 53.77" | |
| 12. | 24017' 25.29" | 920 9' 50.47" | |
| 13. | 24017' 18.01" | 920 9' 49.75" | |
| 14. | 24017' 20.19" | 920 9' 42.65" | |
| 15. | 24017' 20.67" | 920 9' 41.41" | |
| 16. | 24017' 19.69" | 920 9' 39.43" | |
| 17. | 24017' 21.16" | 920 9' 37.34" | |
| 18. | 24017' 23.11" | 920 9' 37.33" | |
| 19. | 24017' 24.66" | 920 9' 40.19" | |

| | | | |
|-----|---------------|---------------|--|
| 20. | 24017' 27.25" | 920 9' 41.89" | |
| 21. | 24017' 29.33" | 920 9' 32.91" | |
| 22. | 24017' 29.87" | 920 9' 32.01" | |
| 23. | 24017' 28.52" | 920 9' 36.66" | |

*Foot Note: Please refer Map

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record:
Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006:
Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006:
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986):
8. Any other matter of importance.